संख्या:16/2022/43/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 दिनांक: 06 जनवरी, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश सं0-271/2021/2105/35-4-2021 दिनांक 30 नवम्बर, 2021 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-गोरखपुर की विधानसभा क्षेत्र-सहजनवा के 05 कार्यों की रू. **295.48** लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **75.00** लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-5 पर अंकित कार्य हेतु अनुमोदित धनराशि को **रूपए 27.98 लाख के स्थान पर रूपए 47.98 लाख** तथा सभी कार्यों हेतु **अनुमोदित लागत का योग रूपए 295.48 लाख के स्थान पर रूपए 315.48 लाख** पढ़ा जायेगा।

3- शासनादेश सं0 सं0-271/2021/2105/35-4-2021 दिनांक 30 नवम्बर, 2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-03/दस-2021 दिनांक: 05 जनवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:16/2022/43(1)/35-4-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, गोरखपुर(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, गोरखपुर (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in